उत्तराखण्ड शासन

मुख्यमंत्री

डॉ0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'

का

वित्तीय वर्ष 2009–2010 के बजट अनुमानों

पर

बजट भाषण

अध्यक्ष महोदय,

मैं आपकी अनुमति से इस परम् सम्मानित सदन के सम्मुख वित्तीय वर्श 2009–10 का आय–व्ययक प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह मेरा सौभाग्य है कि इस गरिमामय सदन के समक्ष बजट प्रस्तुत करने का मुझे वर्श 2001 के बाद पुनः अवसर प्राप्त हुआ है।

आर्थिक परिवे ा एवं वित्तीय प्रबन्धनः

वर्तमान समय आर्थिक दृश्टि से पूरे दे ा व अन्तर्राश्ट्रीय स्तर पर चुनौती पूर्ण है। पूरा वि व आर्थिक मन्दी के दौर से गुजर रहा है। ऐसी चुनौती पूर्ण परिस्थितियों में राज्य के संसाधनों का प्रभावी प्रयोग एवं कु ाल वित्तीय प्रबन्धन पर वि ोश ध्यान दिया जायेगा। आर्थिक मन्दी की स्थिति तथा छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में नये वेतनमान लागू किये जाने के बावजूद भी **वर्श 2009–10 के बजट में नये कर प्रस्तावित नहीं** किये जा रहे हैं।

प्रथम बार बजट साहित्य के खण्ड– 6 में सार्वजनिक उपक्रमों और राज्य सरकार से सहायता प्राप्त संस्थाओं से सम्बन्धित विवरण भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

वार्शिक योजना :

योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा अभी वार्शिक योजना का आकार निर्धारित नहीं किया गया है, परन्तु राज्य सरकार ने वार्शिक योजना का आकार गत वर्श की तुलना में अधिक रखने का प्राविधान किया है। विकास गति और तेज करने के लिए केन्द्र पोशित एवं बाह्य सहायतित योजनाओं के क्रियान्वयन पर वि ोश ध्यान दिया जायेगा। निर्माणाधीन कार्यो को पूर्ण करने का प्रयास भी किया जायेगा ताकि निर्माणाधीन परिसम्पत्तियां भीघ्र पूर्ण होकर अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे सकें।

मान्यवर,

मैं वर्श 2009–10 का आय–व्ययक प्रस्तुत करने के इस अवसर पर बजट के मुख्य बिन्दुओं का उल्लेख करना चाहूँगा :–

❖आम व्यक्ति के दैनिक उपयोग की खाद्य सामग्री– आटा, मैदा, सूजी तथा बेसन से वाणिज्य कर समाप्त कर इसे जनहित में पूर्णतः करमुक्त किया जाएगा।

❖भाहरी क्षेत्रों में अतिरिक्त स्टाम्प भाुल्क समाप्त किया जायेगा।

❖महिला स ाक्तिकरण की दृश्टि से उनके द्वारा सम्पत्ति क्रय करने पर स्टाम्प भाुल्क में छूट हेतु सम्पत्ति के मूल्य की सीमा रु0 10 लाख से बढ़ाकर रु0 20 लाख की जायेगी।

❖ग्रामों के समेकित विकास एवं सभी आव यक सुविधाओं यथा सड़क, बिजली, पेयजल, ि ाक्षा, स्वास्थ्य आदि से संतृप्त करने हेतु प्रत्येक न्याय

पंचायत के एक ग्राम का चयन कर लगभग **500 ग्रामों में ''अटल आद□ा ग्राम योजना'' के रूप में नई पहल की जायेगी।**

❖राश्ट्र भाशा हिन्दी के संरक्षण एवं संवर्धन तथा भाशाओं के विकास हेतु राज्य में भाशा संस्थान एवं हिन्दी अकादमी की स्थापना की जायेगी।

❖यह प्रदे ा सौभाग्य ाली है कि वि व के सबसे बड़े मेले के रूप में कुम्भ मेला आयोजित करने का सुअवसर प्राप्त है। हरिद्वार कुम्भ मेला, 2010 के लिए इस वर्श रू0 100 करोड़ की व्यवस्था की जा रही है।

❖मोक्षदायिनी गंगा जी तथा सहायक नदियों को प्रदूशण से मुक्त करने हेतु वि ोश अभियान चलाया जायेगा। इस कार्य हेतु **''राज्य नदी संरक्षण प्राधिकरण''** गठित किया जायेगा।

❖समाज के अन्तिम छोर के बालक/ बालिकाओं को उत्कृश्ट ि ाक्षा के लिए नई पहल करते हुए

''**देवभूमि मुस्कान**'' योजना संचालित की जायेगी। इस हेतु पहले चरण में प्रत्येक जनपद मुख्यालय में निजी क्षेत्र के विद्यालयों के साथ सहभागिता करते हुए ''वाउचर स्कीम'' का क्रियान्वयन किया जायेगा।

❖प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में एक इण्टर कालेज तथा एक हाई स्कूल भवन का नव निर्माण/नवीनीकरण/ जीर्णोद्धार/ विस्तार करने की कार्य योजना बनाई जायेगी।

❖नागरिकों को गॉव तक सूचना एवं सेवा उपलब्ध कराने के उद्दे य से न्याय पंचायत स्तर पर 2804 (दो हजार आठ सौ चार) ''**बहुउद्दे□ीय नागरिक सेवा केन्द्र**'' स्थापित किये जायेंगे।

❖जैसा कि सर्वविदित है कि उत्तराखण्ड आयुर्वेद की जन्म स्थली है और आज भी संजीवनी जैसी जड़ी–बूटियों का उत्तराखण्ड में अपार भण्डार है। इसलिए आयुर्वेद को नई ऊॅचाईयों तक ले जाने के

लिए राज्य में आयुर्वेदिक वि वविद्यालय स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

❖दे ा में प्रथम बार उत्तराखण्ड में आयुश ग्रामों की स्थापना की जा रही है।

❖पं0 दीन दयाल उपाध्याय 108 आपातकालीन सेवा द्वारा एक ही वर्श में कीर्तिमान स्थापित किये हैं और हजारों नागरिकों के जीवन की रक्षा की है। इस सेवा को और प्रभावी बनाने तथा जन–जन तक पहॅुचाने की दृश्टि से पूर्व से संचालित 90 वाहनों के अतिरिक्त 18 और नये वाहन क्रय करने का निर्णय लिया गया है।

❖चिकित्सकों की कमी के कारण दूरस्थ क्षेत्रों में अन्तिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ देने के लिए डा0 हेडगेवार आरोग्य रथ तथा अत्याधुनिक सुविधाओं यथा अल्ट्रासाउन्ड, ई0सी0जी0, एक्स–रे आदि उपकरणों से सुसज्जित सचल चिकित्सालय संचालन हेतु हमने कदम बढ़ाये हैं। सचल चिकित्सालय प्रदे ा के दूरस्थ

क्षेत्रों में जा कर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ जन–जन तक प्रभावी ढंग से पहुँचायेंगे।

❖वि व की आधुनिकतम एम0आर0आई0 म ीन का संचालन लोक निजी सहभागिता के माध्यम से प्रारम्भ किया गया है। पं0 दीनदयाल उपाध्याय कोरोने ान अस्पताल में गुर्दा रोग एवं हृदय रोग इकाई तथा अल्मोड़ा बेस चिकित्सालय में हृदय रोग इकाई की स्थापना पी0पी0पी0 व्यवस्था से की जायेगी। इसी प्रकार पिथौरागढ़ एवं कोटद्वार में डाइगनोस्टिक केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

❖दुर्गम /असेवित क्षेत्र में मातृ–ि ा ु कल्याणार्थ 145 ए0एन0एम0 एवं 145 अं ाकालिक दाई के पद सृजित किये जा रहे हैं।

❖ि ा ु मृत्यु दर को न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए राज्य के सभी महिला चिकित्सालयों में नवजात ि ा ु इकाई स्थापित की जायेगी जिससे

जच्चा–बच्चा के स्वास्थ्य पर पर्याप्त ध्यान दिया जा सकेगा।

❖हम प्रदे ा के नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए बचनबद्ध हैं। वर्श 2009–10 में 9 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं 15 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण पूर्ण किया जायेगा जबकि 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 26 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माणाधीन हैं।

❖प्रत्येक जनपद में ए0एन0एम0 प्रि ाक्षण केन्द्र स्थापित किए जाएगे तथा राज्य में बेहतर उपचारिका सेवा उपलब्ध कराने के लिए बी0एस0सी0 नर्सिंग संस्थान का निर्माण किया जायेगा।

❖अल्मोड़ा में मेडिकल कालेज स्थापित करने के लिए निर्माण कार्यों को त्वरित गति से पूर्ण किया जायेगा।

❖चिकित्साधिकारियों एवं पैरामेडिकल स्टाफ को वि ाश्ट प्र ाक्षण देकर उनके तकनीकी कौ ाल वृद्धि की व्यवस्था की जायेगी।

❖भाहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के प्रमुख चिकित्सालयों में फिजियोथेरेपिस्ट के 28 पद सृजित किये जा रहे हैं।

❖बहुचिरप्रतीक्षित मुजफ्फरनगर–रूड़की रेल लाईन जिसके बनने से लगभग एक घंटे की यात्रा अवधि कम होगी, के निर्माण हेतु राज्यां ा के रूप में रू0 20 करोड़ की व्यवस्था है।

❖''धरती के स्वर्ग'' उत्तराखण्ड में पर्यटन के विकास के लिए ए ाियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से योजना के क्रियान्वयन हेतु रू0 35 करोड़ की व्यवस्था है।

❖समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान हेतु वृद्धावस्था पें ान, विकलांग अनुदान तथा विधवा भरण–पोशण अनुदान की धनरा ाि सभी लाभार्थियों की सुविधा की दृश्टि से बैंक खातों के माध्यम से नियमित रूप से

वितरित की जायेगी। इसी व्यवस्था के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निः ाक्तजन तथा अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति त्वरित गति से वितरित की जायेगी।

❖महिला सरकारी सेवकों हेतु 135 दिन के प्रसूति अवका ा को बढ़ा कर 180 दिन किया जायेगा।

❖प्रदे ा में कन्या ि ा ु भ्रूण हत्या रोकने के लिए आर्थिक एवं भौक्षिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु नन्दा देवी कन्या योजना क्रियान्वित की जायेगी जिसके लिए रु0 16 करोड़ का प्राविधान है।

❖महिलाओं के समग्र विकास हेतु महिला कल्याण निधि की स्थापना की जाएगी जिसके लिए रू0 50 लाख का प्राविधान प्रस्तावित है।

❖निराश्रित बच्चों (स्ट्रीट चिल्ड्रेन) हेतु एक पृथक गृह का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है जिसके लिए रू0 30 लाख की व्यवस्था है।

❖मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों तथा विक्षिप्त महिलाओं के लिए पृथक–पृथक आवासीय गृहों की व्यवस्था हेतु प्राविधान है जबकि राज्य में निर्माणाधीन मानसिक रोगी चिकित्सालय का भ्ाुभारम्भ भीघ्र किया जायेगा।

❖वर्श 2009–10 में 67 ग्रामों, 1874 (एक हजार आठ सौ चौहत्तर) तोकों का विद्युतीकरण किया जायेगा तथा 48308 (अड़तालीस हजार तीन सौ आठ) बी0पी0एल0 परिवारों को विद्युत संयोजन दिये जायेंगे।

❖वर्श 2009–10 में 30 ग्रामों का सौर ऊर्जा विद्युतीकरण तथा 250 घराट एवं 271 सोलर चरखे स्थापित किये जाने प्रस्तावित हैं।

❖राज्य के 500 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को 'स्मार्ट स्कूल' बनाये जाने का प्रस्ताव है। इन विद्यालयों में कम्प्यूटर के व्यवहारिक प्रि ाक्षण के साथ ई–क्लास भी संचालित किया जाना प्रस्तावित है। योजना को

पी0पी0पी0 माध्यम से संचालित किये जाने का विचार है।

❖जल संवर्द्धन हेतु जला ायों के निर्माण की योजना प्रारम्भ की जायेगी ।

❖प्रदे ा के पर्वतीय क्षेत्रों में उद्यम स्थापित कर रोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिए सरकार प्रयत्न ील है जिस हेतु एकीकृत पर्वतीय औद्योगिक योजना का भ्ाुभारम्भ किया गया है। दूरस्थ क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना हेतु राज्य पूंजी उपादान सहायता के लिए बजट में पर्याप्त व्यवस्था की गई है।

❖जनता को त्वरित न्याय देने के लिए न्यायालय भवनों का निर्माण किया जायेगा।

❖किसानों के चहुमुखी विकास हेतु समग्र जिला कृशि योजना तैयार की जा रही है जिसमें कृशि, प ाुपालन, उद्यान, मत्स्य पालन सम्बन्धी क्रिया–कलाप सम्मिलित होंगे।

❖उत्तराखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों से युवाओं के पलायन को रोकने के लिए एवं अधिकाधिक लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए राश्ट्रीय ग्रामीण योजना का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन सुनि ि चत किया जायेगा एवं इसके लिए सघन अनुश्रवण हेतु प्रकोश्ठ की स्थापना की जा रही है।

❖उत्तराखण्ड दे ा का पहला राज्य है जिसने अपने कर्मचारियों के हितों को दृश्टिगत रखते हुए वेतन समिति गठित कर छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के समतुल्य वेतनमान स्वीकृत किया है तथा उसके भुगतान हेतु समुचित व्यवस्था भी की गयी है।

राजकोशीय सेवाएं :

राज्य की राजकोशीय सेवाओं में वाणिज्य कर, आबकारी, परिवहन, स्टॉम्प एवं पंजीकरण भ्ाुल्क तथा मनोरंजन कर प्रमुख हैं। इन क्षेत्रों में कोई नया कर लगाया जाना प्रस्तावित नहीं है।

वाणिज्य कर :

वाणिज्य कर राज्य के कर राजस्व का प्रमुख स्रोत है। इस वित्तीय वर्श में गत वित्तीय वर्श से लगभग 16.72 प्रति ात अधिक कर संग्रह का अनुमान है। तद्नरूप वित्तीय वर्श 2009–10 में रु0 2220.80 करोड़ (दो हजार दो सौ बीस करोड़ अस्सी लाख) प्राप्ति का लक्ष्य है।

राज्य में मूल्य वर्धित कर (वैट) प्रणाली को सरल, तर्कसंगत एवं पारद र्ी बनाने के लिए कार्यवाही की जायेगी जिसके अन्तर्गत–

- वर्तमान व्यवस्था में एक करोड़ से अधिक विक्रय धन के सभी करदाताओं के लिये औडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अनिवार्यता है। एक सूत्रीय करदेय एवं केवल करमुक्त वस्तुओं के करदाताओं के लिये औडिट की अनिवार्यता समाप्त करना प्रस्तावित है।
- वाणिज्य कर विभाग में प्रक्रियाओं को पारद र्ी व सुविधाजनक बनाने हेतु कम्प्यूटरीकरण किया जा

रहा है। ई–पेमेन्ट की सुविधा का विस्तार किया जाएगा तथा ई–फाइलिंग की सुविधा आरम्भ की जा रही है।

- सार्वजनिक उपक्रमों को कमि नर वाणिज्य कर द्वारा अधिकृत क्रमांक के आयात घोशणा पत्रों (फार्म 16) को स्वयं डाउनलोड करने की सुविधा दिया जाना प्रस्तावित है।
- उत्पादनकर्ता इकाईयों द्वारा कच्चे माल की खरीद के सम्बन्ध में प्रयोग किये जाने वाले फार्म 11 में अभी वर्तमान में 5 लाख तक की सीमा की बाध्यता है। इस सीमा को कुछ भार्तों के साथ ि ाथिल करना प्रस्तावित है।
- करदाताओं की समस्याओं के त्वरित निस्तारण, व्यापार सम्बन्धी कठिनाईयों के निराकरण एवं राजस्व संग्रह में करदाताओं का सहयोग प्राप्त करने के उद्दे य से वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय ''व्यापार मित्र'' का गठन प्रस्तावित है।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रे ान :

गत वर्श सामान्य स्टाम्प भुल्क में 1 प्रति ात की कमी की गई थी। इस वर्श भाहरी क्षेत्रों में अतिरिक्त स्टाम्प भुल्क को समाप्त किया जाना प्रस्तावित है।

महिलाओं द्वारा सम्पत्ति क्रय करने पर स्टाम्प भुल्क में छूट की सीमा को रु0 10 लाख के स्थान पर 20 लाख किया जाना प्रस्तावित है।

इकरारनामे, विक्रय का प्रमाण–पत्र, सम्पत्ति का विनिमय, अतिरिक्त प्रभार तथा दान से सम्बन्धित लेख पत्रों में स्टाम्प भुल्क की दर रु0 115 प्रति हजार से घटाकर रु0 70 प्रति हजार किया जाना प्रस्तावित है। कब्जा रहित इकरारनामों में स्टाम्प भुल्क की दर वर्तमान 7 प्रति ात से घटा कर 4 प्रति ात किया जाना प्रस्तावित है।

दान कर्ता द्वारा अपने परिवार के सदस्य के पक्ष में किये गये दाननामे पर स्टाम्प भुल्क की दर 2

प्रति ात किया जाना प्रस्तावित है। तीस वर्श से कम अवधि के किरायेनामों में स्टाम्प भाुल्क की दर वर्तमान 7 प्रति ात से घटाकर 2 प्रति ात किया जाना प्रस्तावित है।

आबकारी :

राज्य के कर राजस्व का दूसरा प्रमुख स्रोत आबकारी है। वित्तीय वर्श 2008–09 हेतु निर्धारित लक्ष्य रु0 501 करोड़ के सापेक्ष वर्श 2009–10 में रु0 598.21 करोड़ (पाँच सौ अट्ठानवे करोड़ इक्कीस लाख) की प्राप्ति का लक्ष्य है।

मदिरा की तस्करी की रोकथाम हेतु अनुज्ञापियों या बॉण्ड धारकों द्वारा अन्य प्रदे ाों से लायी जा रही मदिरा व बियर तथा प्रदे ा के अन्दर थोक आपूर्ति हेतु परिवहन की जा रही मदिरा का परिवहन

निर्धारित मार्ग से ही अनुमन्य किया गया है। साथ ही प्रवर्तन कार्यों पर और अधिक ध्यान दिया जाएगा।

मनोरंजन कर :

गत वर्श के बजट भाशण में की गई घोशणा अनुरूप छविगृहों में मनोरंजन कर की दर 60 प्रति ात की जगह 40 प्रति ात एवं केबल/ डी0टी0एच0 में मनोरंजन कर 30 प्रति ात के स्थान पर 20 प्रति ात किया जा चुका है। अब छवि गृहों में रु0 25 तक के टिकट पर 20 प्रति ात, रु0 26 से रु0 50 तक के टिकट पर 30 प्रति ात एवं रु0 50 से ऊपर के टिकट पर 40 प्रति ात मनोरंजन कर प्रस्तावित है।

परिवहन :

राज्य के आर्थिक, सामाजिक एवं औद्योगिक विकास में परिवहन व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान है। सड़क परिवहन राज्य में यातायात का मुख्य साधन है। वर्श 2009–10 में परिवहन विभाग से रु0 203 करोड़ की राजस्व आय प्राप्ति का अनुमान है। देहरादून में स्थापित

किये जा रहे चालक प्रि ाक्षण केन्द्र का संचालन भीघ्र ही मारूति सुजुकी इण्डिया लि0 के माध्यम से किया जाएगा। वाहनों की फिटनैस जॉच हेतु ऋशिके ा में आटोमैटिक टैस्टिंग लैब की स्थापना प्रस्तावित है एवं ड्राइविंग टैस्टिंग हेतु सिमुलेटर क्रय करना भी प्रस्तावित है। जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत देहरादून, हरिद्वार एवं नैनीताल में सिटी बस सेवाऍ इस वर्श आरम्भ की जायेंगी जिस हेतु आधुनिक तकनीकी से बनी 140 बसों का बेड़ा तैयार किया जा रहा है। सभी संभागीय एवं उपसंभागीय परिवहन कार्यालयों में कम्प्यूटरीकरण कार्य प्रगति पर है जिससे ड्राइविंग लाईसेंस, पंजीकरण प्रमाण–पत्र आदि में पारदि ार्ता सहित समय की बचत भी होगी। परिवहन विभाग की विभिन्न योजनाओं हेतु रु0 54.97 करोड़ (चौवन करोड़ सत्तानवे लाख) का प्राविधान वर्श 2009–10 में किया गया है।

ऊर्जा :

राज्य की विद्युत मांग में तेजी से वृद्धि हो रही है जो विकास की दृश्टि से एक अच्छा संकेत है परन्तु साथ ही विद्युत की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति, पर्याप्त विद्युत उत्पादन/ अधिप्राप्ति, वहन योग्य दरों पर विद्युत आपूर्ति, विद्युत वितरण के परिप्रेक्ष्य में सकल तकनीकी व वाणिज्यिक हानियों को मान्य स्तर तक कम से कम समय में लाने, विद्युत सुरक्षा/संरक्षण एवं नवीकृत ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने की चुनौती भी हमारे सम्मुख है।

यद्यपि राज्य में पर्याप्त क्षमता की जल विद्युत उत्पादन परियोजनाएँ चिन्हित की गई हैं तथा विभिन्न विकास कर्ताओं के माध्यम से लगभग 3140 मेगावाट क्षमता राज्य में निर्मित है तथापि हमारी विद्युत उत्पादन क्षमता एवं विद्युत अधिप्राप्ति मांग के अनुरूप नहीं है। अतः हमें विद्युत उत्पादन तथा विद्युत अधिप्राप्ति के अन्य व्यवहार्य व अर्थक्षम उपाय भीघ्र करने हैं। विद्युत पारेशण तथा लघु विद्युत परियोजनाओं के निर्माण हेतु एि ायन डेवलपमेंट बैंक पोशित योजना के अन्तर्गत कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य जल

विद्युत परियोजनाओं का निर्माण भी प्रारम्भ करने हेतु सरकार प्रयासरत है। **वित्तीय वर्श 2009–10 में 81 मेगावाट की लघु जल विद्युत परियोजनाएँ पूर्णकर उत्पादनरत करने का लक्ष्य है।**

राज्य सरकार राज्य के सभी गांवों के विद्युतीकरण सहित प्रत्येक घर तक विद्युत पहुँच सुनि ित करने के लिए भी प्रयासरत है। हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती विद्युत वितरण में सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों को मान्य स्तर (15 प्रति ात) तक कम करने की है। इस हेतु सभी का सहयोग निवेदित है। पुनरीक्षित ए0पी0डी0 आर0पी0 योजनान्तर्गत एक हजार से अधिक आबादी वाले 31 भाहरों/कस्बों में वितरण सम्बन्धी सुधार कार्य प्रारम्भ करने की योजना है। ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत 2009–10 में 67 गावों व 1874 तोकों का विद्युतीकरण एवं 48,308 बी0पी0एल0 परिवारों को विद्युत संयोजन का लक्ष्य है।

दूरस्थ गांवों व तोकों में स्थानीय स्तर पर विद्युत आपूर्ति के लिए उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास

अभिकरण के माध्यम से वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों/योजनाओं का उपयोग कर ऐसे क्षेत्रों में विद्युतीकरण के लक्ष्य को पूरा करने हेतु कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में 1385 किलोवाट क्षमता की 16 लघु जल विद्युत योजनाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वर्श 2009–10 में 30 ग्रामों का सौर ऊर्जा से विद्युतीकरण प्रस्तावित है। अनाज पिसाई, धान कुटाई, तेल पिराई आदि यांत्रिक उपयोग एवं 05 किलोवाट तक विद्युत उत्पादन हेतु वर्श 2009–10 में 250 घराटों का भी प्रस्ताव है। ऊन कताई हेतु सौर ऊर्जा चालित चरखे उपयोगी सिद्ध हुए हैं जिसके अन्तर्गत वर्श 2009–10 में 271 सोलर चरखे स्थापित किये जाने प्रस्तावित हैं।

ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा की विभिन्न योजनाओं के लिए लगभग रु0 550 करोड़ का प्राविधान है।

सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं लघु सिचाई :

कृशि क्षेत्र के विकास एवं कृशि उत्पादन वृद्धि हेतु सिंचाई का सीधा सम्बन्ध है। अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजन सहित सृजित सिंचाई सुविधाओं का सुचारू रख–रखाव व सिंचाई हेतु पानी आपूर्ति के दौरान पानी की हानि को कम किया जाना महत्वपूर्ण कार्य हैं। वर्तमान में सिंचाई क्षेत्र में निवे ा नाबार्ड से ऋण तथा त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्यतः किया जा रहा है। पानी के संकट से निपटने हेतु जल संरक्षण व संवर्धन सम्बन्धी कार्य भी प्रारम्भ किये जाने का विचार है। वर्श 2009–10 में सिंचाई विभाग हेतु रु0 423 करोड़ तथा लघु सिंचाई विभाग हेतु रु0 354 करोड़ का प्राविधान है।

पेयजल :

जीवन की मूलभूत आव यकताओं के अन्तर्गत पेयजल सुविधा सुलभ कराना सरकार की प्राथमिकता में सम्मिलित है। पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन तथा संचालन के लिए पंचायती राज संस्थाओं

के माध्यम से जनसहभागिता को सरकार बढ़ावा दे रही है।

ग्रामीण जलापूर्ति कार्यों हेतु वर्श 2009–10 में रु0 118 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

राज्य के नगरीय क्षेत्रों हेतु पेयजल व्यवस्था के लिए रु0 5 करोड़ का प्राविधान किया गया है। वर्तमान में राज्य के 20 नगरों में आन्तरिक जलोत्सारण की आंि ाक व्यवस्था उपलब्ध है जिसका विस्तार किये जाने हेतु रु0 8 करोड़ का प्राविधान किया गया है। जे. एन.एन. यू.आर.एम. के अन्तर्गत देहरादून, हरिद्वार तथा नैनीताल में पेयजल सुविधाओं में सुधार की स्वीकृति दी गई है। गंगा एवं सहायक नदियों को प्रदूशण मुक्त करना भी महत्वपूर्ण है जिस हेतु वर्तमान परिसम्पत्तियों के रख–रखाव के लिए रु0 20 लाख का प्राविधान है।

सड़क एवं सेतु :

प्रदे ा के विकास तथा सुगम आवागमन के लिए सम्पर्क मार्गों का पर्याप्त आच्छादन होना महत्वपूर्ण

है। इस हेतु वर्श 2009–10 में लगभग रु0 1007 (एक हजार सात करोड़) का प्राविधान है।

राश्ट्रीय राजमार्ग के अन्तर्गत देहरादून–हरिद्वार मार्ग में लच्छीवाला रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण प्रगति पर है तथा आ ाा है कि दिसम्बर, 2009 तक कार्य पूर्ण हो जायेगा। असलम–नगुन–भवान मोटर मार्ग का निर्माण भी प्रगति पर है जिसके निर्माण हो जाने पर जनपद उत्तरका ाी की देहरादून से दूरी कम हो जायेगी। जनपद नैनीताल में हल्द्वानी–रामनगर मोटरमार्ग में कोसी नदी पर सेतु निर्माण हेतु पी0पी0पी0 पद्धति पर स्वीकृति प्रदान की गई है। देहरादून में जौलीग्रान्ट–थानो–रायपुर चार लेन फास्ट ट्रैक मार्ग की स्वीकृति प्रदान की गई है।

राज्य में विभिन्न भाासकीय निर्माण कार्यों को सम्पादित करने हेतु उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम गठित किया जा चुका है।

औद्योगिक विकास :

सरकार प्रदे ा में औद्योगिक विकास हेतु अनुकूल वातावरण बनाने की दि ाा में प्रयत्न ाील है। पर्वतीय क्षेत्र में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए वि ोश एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2008 के अन्तर्गत सुविधाएँ दी जा रही हैं। लघु औद्योगिक इकाईयों के लिए ब्याज उपादान योजना को 31 मार्च, 2010 तक विस्तारित किया गया है।

हस्ति ाल्प कारीगरों, हथकरघा तथा बुनकरों के उत्पादों की बिक्री हेतु ''हिमाद्रि'' ब्रान्ड नाम से विपणन व प्रद ान किया जा रहा है तथा प्रद ानियों और एक्सपो आदि के आयोजन भी किये जा रहे हैं। बुनकरों के लिए सामाजिक कल्याण योजनाएँ भी संचालित की जा रही हैं। समूह प्रयास (ग्रुप एप्रोच) के अन्तर्गत बुनकरों के छोटे–छोटे समूहों को कार्य ााला निर्माण, मार्जिन मनी, उपकरण क्रय तथा प्रि ाक्षण हेतु सहायता दी जा रही है।

वर्श 2009–10 में रु0 57.90 करोड़ (सत्तावन करोड़ नब्बे लाख) का बजट प्राविधान औद्योगिक विकास विभाग हेतु किया गया है।

भाहरी विकास एवं आवास

राज्य सरकार भाहरी निकाय क्षेत्रों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण एवं इन क्षेत्रों में विभिन्न अवस्थापना सुविधाएॅं विकसित करने के लिए प्रयास कर रही है जिस हेतु विभिन्न केन्द्र सहायतित योजनाओं तथा एि ायन डेवलपमैंट बैंक से वित्त पोशित योजनाओं आदि के अन्तर्गत निवे ा किया जा रहा है। भाहरी बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु सार्वभौम रोजगार योजना व स्वर्ण जयन्ती भाहरी रोजगार योजना के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है। भुाश्क भौचालयों को जल प्रवाहित भौचालय तथा भौचालय विहीन परिवारों को भौचालय निर्मित करने हेतु कम लागत के अन्तर्गत भौचालय निर्माण के साथ–साथ नगरों में ठोस अपि ाश्ठ प्रबन्धन कार्य पर बल दिया जा रहा है।

विभाग की विभिन्न योजनाओं हेतु 2009–10 में रु0 447.17 करोड़ (चार सौ सैंतालीस करोड़ सत्रह लाख) का बजट प्राविधान है।

टिहरी बॉध परियोजना से बनी झील के कारण उपलब्ध अवसर व स्थिति के दृश्टिगत सुनियोजित विकास के लिए टिहरी झील परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है।

कुम्भ मेला 2010 :

राज्य निर्माण के बाद 2010 में राज्य का पहला पूर्ण कुम्भ मेला आयोजित हो रहा है। इस मेले हेतु स्थायी परिसम्पत्तियों/संरचनाओं के निर्माण सहित अस्थाई कार्यो को भी निर्मित किया जा रहा है। वर्श 2009–10 में इस हेतु रु0 100 करोड़ का प्राविधान है।

समाज कल्याण :

राज्य सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक एवं निः ाक्त जनों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाते हुए समाज में उन्हें सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए सतत् प्रयत्न ाील है। उक्त वर्गों की समस्याओं के सार्थक समाधान हेतु सरकार अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से प्रयास कर रही है। भाारीरिक एवं मानसिक अपंगता के कारण जिन बच्चों की ि ाक्षा मुख्य धारा के विद्यालयों में सम्भव नहीं है उनके लिए वि ोश विद्यालय संचालित किये जायेंगे।

राज्य सरकार इन वर्गों के भौक्षिक विकास पर वि ोश बल दे रही है। वर्श 2009–10 में अनुसूचित जाति के छात्रों को लाभान्वित करने हेतु रु0 18 करोड़, अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु रु0 4.60 करोड़ (चार करोड़ साठ लाख), पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं हेतु रु0 12.45 करोड़ (बारह करोड़ पैंतालीस लाख), निः ाक्तजन छात्र/छात्राओं के लिए रु0 45 लाख तथा

अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं के लिए रु0 2.98 करोड़ (दो करोड़ अट्ठानवे लाख) की छात्रवृत्ति का प्राविधान है।

अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु छात्रावासों का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण तथा एकलव्य आद र्ा विद्यालय की स्थापना हेतु लगभग रू0 6.40 करोड़ (छः करोड़ चालीस लाख) का प्राविधान है। अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च ि ाक्षा के लिए आवासीय सुविधा की व्यवस्था हेतु छात्रावास निर्माण के लिए रु0 50 लाख की व्यवस्था है। कालसी में कक्षा 6 से 12 तक एकलव्य आद र्ा आवासीय विद्यालय स्थापना एवं पदों के सृजन हेतु रु0 2.12 करोड़ (दो करोड़ बारह लाख) का प्राविधान है।

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले समस्त परिवार के एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के परिवारों की इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण छात्राओं को गौरादेवी कन्याधन योजना के अन्तर्गत रु0 25,000 की धनरा ि ा राश्ट्रीय बचत पत्र के रूप में

दिया जा रहा है। इस हेतु वर्श 2009–10 हेतु रु0 15 करोड़ का बजट प्राविधान है।

सामाजिक उत्थान के लिए कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत वृद्धावस्था पें ान योजना, विकलांग भरण–पोशण तथा विधवा भरण–पोशण अनुदान, बी0पी0 एल0 परिवार के सदस्य की मृत्यु हो जाने पर आर्थिक सहायता आदि हेतु वर्श 2009–10 में रु0 139.65 करोड़ (एक सौ उन्तालीस करोड़ पैंसठ लाख), विधवाओं की पुत्रियों की भाादी, वृद्ध एवं अ ाक्त लोगों के लिए आश्रम, भिक्षुक गृह तथा लावारिसों के दाह संस्कार हेतु रु0 86 लाख का प्राविधान प्रस्तावित है।

सैनिक कल्याण :

राज्य में बड़ी संख्या में सेवारत सैनिक, पूर्व सैनिक एवं दिवंगत सैनिकों की विधवाएँ व आश्रित हैं। इनके कल्याण हेतु विभिन्न योजनाएँ व कार्यक्रम सरकार चला रही है। सैनिक कल्याण की विभिन्न योजनाओं हेतु वर्श 2009–10 में रु0 14.74 करोड़ (चौदह करोड़ चौहत्तर लाख) का प्राविधान है।

महिला स□ क्तिकरण एवं बाल विकास :

राज्य के लगभग 4200 प्रारम्भिक ि ा ु देखभाल केन्द्रों पर पोशक आहार वितरण योजना को प्राथमिक विद्यालयों में संचालित मध्यान्ह भोजन योजना के साथ समेकित रूप से संचालित किया जायेगा।

वर्श 2009–10 में ''नन्दा देवी कन्या योजना'' नामक नई योजना प्रस्तावित है जिससे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों में जन्मी कन्या ि ा ु को रु0 पॉच हजार की धनरा ि ा एफ0डी0 के रूप में दी जाएगी। विभाग की विभिन्न योजनाओं हेतु रु0 16 करोड़ का प्राविधान है।

जलागम :

प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, जमीन तथा वनों के सुनियोजित उपभोग एवं प्रबन्धन तथा कृशि आधारित कार्यक्रमों को जन उपयोगी बनाने हेतु जलागम प्रबन्धन

एवं विकास को महत्व दिया जा रहा है। जलागम प्रबन्ध योजनाएँ ग्राम पंचायतों के माध्यम से चलाई जा रही हैं जिनमें ग्रामीणों की क्षमता विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है। राज्य में वि व बैंक द्वारा वित्त पोशित उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना (ग्राम्या) पर्वतीय जनपदों के 18 विकास खण्डों में संचालित की जा रही है। वर्श 2009–10 हेतु जलागम प्रबन्ध की विभिन्न योजनाओं हेतु रु0 92.16 करोड़ (बानवे करोड़ सोलह लाख) का प्राविधान है।

वन एवं पर्यावरण :

वनों एवं वन्य जीवों का हिमालयी क्षेत्र में वि ोश महत्व है। वनों का जनसामान्य के लिए भी अत्यधिक महत्व है। अतः वनों का अनुरक्षण, देख–रेख तथा विकास कार्यों हेतु सरकार निरन्तर प्रयासरत है। इस हेतु विभिन्न केन्द्रपोशित तथा राज्य पोशित योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं। वानिकी कार्य रोजगार सृजन के लिए भी वि ोश स्थान रखता है। राज्य सरकार वनों के प्रबन्धन में जन सहभागिता तथा पंचायतों की सहभागिता को भी महत्वपूर्ण स्थान दे रही है। नर्सरी

विकास, रोजगार परक वृक्षारोपण तथा औशधीय व सगन्ध पौधालयों की स्थापना आदि कार्य भी किये जा रहे हैं। नर्सरी विकास में महिलाओं की सहभागिता ली जा रही है। वन एवं पर्यावरण के प्रति जागरूकता व आकर्शण बढ़ाने के दृश्टिगत इकोटूरिज्म की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है। इन सभी कार्यों हेतु वर्श 2009–10 में रु0 334.08 करोड़ (तीस सौ चौंतीस करोड़ आठ लाख) का प्राविधान है।

कृशि :

कृशि क्षेत्र में उचित वार्शिक वृद्धि दर प्राप्त करना एवं तद्क्रम में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना महत्वपूर्ण बिन्दु है। खाद्यान्न उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि हेतु मैदानी व पर्वतीय क्षेत्रों हेतु अलग–अलग तीन वर्शीय रणनीति तैयार की गई है। जहॉ मैदानी क्षेत्रों में मृदा स्वास्थ्य सुधार, एकीकृत कीट प्रबन्धन, एकीकृत पोशक प्रबन्धन, खरपतवार नियंत्रण तथा विभिन्न फसल चक्र अपनाने पर बल दिया जाएगा वहीं पर्वतीय क्षेत्र में भूमि संरक्षण, जल प्रबन्धन, जैविक खेती, फलों और दलहन–तिलहन उत्पादन पर बल दिया जायेगा।

गुणात्मक बीजों के उत्पादन एवं वितरण हेतु अवस्थापना सुविधाओं के विकास व सुदृढ़ीकरण की व्यवस्था की जा रही है।

कृशि क्षेत्र में चहुमुखी विकास हेतु समग्र जिला कृशि योजना तैयार की जा रही है जिसमें कृशि, प ुपालन, उद्यान, मत्स्य पालन सम्बंधी समस्त क्रियाकलाप सम्मिलित होंगे।

उक्त की पूर्ति हेतु विभिन्न योजनाओं के लिए वर्श 2009–10 में रु0 273.61 करोड़ (दो सौ तिहत्तर करोड़ इकसठ लाख) का प्राविधान है।

गन्ना एवं चीनी उद्योग :

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग सम्बन्धी विभिन्न योजनाओं यथा अंतर्ग्रामीण सड़क निर्माण, एन0सी0डी0सी0 ऋण के अन्तर्गत गोदाम निर्माण आदि में वर्श 2009–10 में रु0 95 लाख का बजट प्राविधान प्रस्तावित है।

उद्यान :

राज्य का लगभग 279 हजार हेक्टेयर क्षेत्र फल एवं सब्जियों के अन्तर्गत आच्छादित है। जलवायु एवं भौगोलिक स्थिति को देखते हुए बेमौसमी सब्जियॉ, जड़ी–बूटी, सगन्ध पौध, म ारूम, भाहद, रे ाम तथा चाय जैसी नकदी फसलों की भी अच्छी सम्भावनाऍ विद्यमान हैं। वर्श 2009–10 में उद्यान विभाग हेतु रु0 81. 06 करोड़ (इक्यासी करोड़ छः लाख) का प्राविधान है।

पशुपालन, डेरी विकास तथा मत्स्य पालन :

कृशि के साथ प ुपालन भी राज्य के लोगों की आजीविका का महत्वपूर्ण अंग है। राज्य की प ुधन एवं कुक्कुट संपदा के सरंक्षण एव ंविकास हेतु चिकित्सा सुविधा प्रदान करने, विभिन्न रोगों से बचाव हेतु रोग प्रतिरोधी टीकाकरण करने, गर्भाधान एवं नस्ल सुधार सुविधा उपलब्ध कराने तथा उन्नत प ुपालन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन एवं प्रचार–प्रसार हेतु विभिन्न योजनाओं के

लिये वित्तीय वर्श 2009–10 में रु0 12.77 करोड़ (बारह करोड़ सतहत्तर लाख) की धनरा ि ा प्राविधानित है।

दुग्ध समितियों के माध्यम से दुग्ध उत्पादकों को उत्पादित दूध की उचित कीमत दिलाने के साथ–साथ संग्रहीत दूध को प्रसंस्कृत करते हुए उपभोक्ताओं को दूध एवं दुग्ध पदार्थों की आपूर्ति सुनि ि चत की जा रही है। इस हेतु डेरी विकास विभाग का कार्य त्रिस्तरीय सहकारी पद्धति ''आनन्द प्रणाली'' पर संचालित किया जा रहा है।

वित्तीय वर्श 2009–10 में प ुपालन एवं डेरी विकास के लिए रु0 12.67 करोड़ (बारह करोड़ सड़सठ लाख) का प्राविधान किया गया है।

सहकारिता :

राज्य में 10 जिला सहकारी बैंक, 757 पैक्स एवं 3 भीर्श सहकारी संस्थाएॅ कार्यरत हैं। कृशि उत्पादन वृद्धि हेतु कृशकों को फसली ऋण एवं कृशि निवे ाों को उपलब्ध कराने में प्रारम्भिक कृशि ऋण सहकारी

समितियों का महत्वपूर्ण योगदान है। सहकारिता विभाग हेतु वर्श 2009–10 में रु0 22.51 करोड़ (बाईस करोड़ इक्यावन लाख) का प्राविधान है।

चिकित्सा एवं परिवार कल्याण :

राज्य सरकार जनसामान्य को उचित चिकित्सा सुविधाएँ सुलभ कराने के लिए निरन्तर प्रयासरत है। राज्य में गुणवत्तापरक चिकित्सा तथा निदान सुविधाएँ उपलब्ध कराने में जहां मानव संसाधन की कमी एक चुनौती है वहीं दक्ष चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना भी चुनौतीपूर्ण है। इसके निराकरण हेतु लोक निजी सहभागिता (पी0पी0पी0) माध्यम से मोबाइल चिकित्सालयों एवं एम0आर0आई0 म ाीन के संचालन के रूप में हमने कदम बढ़ाए हैं। एि ायन डेवलपमेन्ट बैंक के सहयोग से पी0पी0पी0 माध्यम से पिथौरागढ़ एवं कोटद्वार में डाईग्नोस्टिक सैन्टर की स्थापना का भी प्रयास किया जा रहा है।

पं0 दीन दयाल उपाध्याय 108 आपात कालीन सेवा अल्प समय में ही जनता में अत्यन्त लोक प्रिय हुई

है। इस योजना की उपयोगिता व लोक प्रियता को देखते हुए 18 अतिरिक्त वाहनों की व्यवस्था की जा रही है।

विधान सभा में होम्योपैथिक चिकित्सालय तथा राज्य में राजकीय होम्योपैथिक औशधि प्रयोग ाला की स्थापना की जायेगी। रूद्रप्रयाग, चमोली, चम्पावत तथा अल्मोड़ा जनपद चिकित्सालयों में ब्लड बैंक की स्थापना व पदों के सृजन हेतु रु0 48.30 लाख (अड़तालीस लाख तीस हजार) का प्राविधान है। पं0 दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय देहरादून के विस्तारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु पदों के सृजन के लिए कुल रु0 58.68 लाख (अट्ठावन लाख अड़सठ हजार) का प्राविधान प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्श 2009–10 में चिकित्सा के लिए रु0 575 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

चिकित्सा ि ाक्षा :

वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली राजकीय आयुर्विज्ञान भाोध संस्थान श्रीनगर के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु वर्श 2009–10 में रु0 10 करोड़ तथा संचालन हेतु रु0 17.82 करोड़ (सत्रह करोड़ बयासी लाख) का प्राविधान है। मेडिकल

कालेज के टीचिंग अस्पताल एवं उसमें ब्लड बैंक की स्थापना के लिए रु0 65.25 लाख (पैंसठ लाख पच्चीस हजार) का प्राविधान किया गया है।

विद्यालयी ि ाक्षा :

ि ाक्षित मानव संसाधन किसी भी राज्य तथा दे ा की मुख्य पूँजी है। ि ाक्षा से ही रूढ़ियों एवं सामाजिक विशमताओं से निपटा जा सकता है। बालिका ि ाक्षा को प्रोत्साहन के लिए राज्य में 25 विकास खण्डों में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय स्थापित हैं। बी0पी0एल0 परिवारों की बालिकाओं को कक्षा–9 व 10 में प्रवे ा हेतु छात्रवृत्ति दी जा रही है एवं राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में बालिकाओं के लिए 50 प्रति ात स्थान आरक्षित किये गये हैं। मध्यान्ह भोजन एवं कक्षा–1 से 8 तक विद्यार्थियों को निः ाुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण योजना भी चल रही है। अभी तक प्रदे ा में राजकीय एवं राज्य सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक सभी छात्र–छात्राओं को तथा कक्षा 9 से 12

तक सभी छात्राओं को निः ुल्क ि ाक्षा की व्यवस्था है परन्तु अब कक्षा 1 से 12 तक सभी छात्र–छात्राओं को निः ुल्क ि ाक्षा की व्यवस्था की जा रही है। पॉच जनपदों में भयामा प्रसाद मुखर्जी अभिनव विद्यालयों हेतु पदों का सृजन किया जा रहा है।

वित्तीय वर्श 2009–10 में विद्यालयी ि ाक्षा विभाग हेतु रु0 2684 करोड़ (दो हजार छः सौ चौरासी करोड़) का प्राविधान प्रस्तावित है।

विद्यालयी ि ाक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए प्रयास किये जा रहे हैं जिस हेतु ि ाक्षक तथा प्रधानाचार्य की भौक्षिक डायरी, निदे ाालय स्तर के अधिकारियों को अनुश्रवण हेतु प्रत्येक जनपद का नोडल अधिकारी नामित करना, कक्षा 5वीं व 8वीं में जिला स्तरीय परीक्षा का आयोजन आदि कदम उठाये गये हैं। उपस्थिति सुनि ि चत करने हेतु भी कड़े कदम उठाये गये हैं।

उच्च ि ाक्षा :

राज्य सरकार प्रदे ा में उच्च ि ाक्षा के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए प्रयासरत है। राज्य के

10 राजकीय महाविद्यालयों में 2 पुरूश एवं 10 महिला छात्रावासों में से 8 का निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा 4 छात्रावास निर्माणाधीन है। इस वर्श दून वि वविद्यालय में ि ाक्षण कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है। उच्च ि ाक्षा के अन्तर्गत रु0 118.51 करोड़ (एक सौ अट्ठारह करोड़ इक्यावन लाख) का प्राविधान किया गया है।

तकनीकी ि ाक्षा :

राज्य में वर्तमान में 35 राजकीय पॉलीटैक्निक तथा 12 निजी क्षेत्र के पॉलीटैक्निक संचालित हैं। राजकीय पॉलीटैक्निकों में ि ाक्षकों की कमी की पूर्ति अतिथि व्याख्याता के रूप में संविदा आधार पर ि ाक्षकों से की जा रही है। राज्य में दो राजकीय इंजीनियरिंग कालेज एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, पन्त नगर वि वविद्यालय सहित कई इंजीनियरिंग कालेज तथा उत्तराखण्ड तकनीकी वि वविद्यालय भी संचालित हैं। तकनीकी ि ाक्षा हेतु 2009–10 में रु0 54.70 करोड़ (चौवन करोड़ सत्तर लाख) का बजट प्राविधान है।

संस्कृति :

राज्य की ऐतिहासिक, पौराणिक एवं सांस्कृतिक धरोहर के संवर्धन तथा संरक्षण का हमारे लिए वि ोश महत्व है। राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के रख–रखाव एवं उन्नयन हेतु संगीत, नृत्य, नाट्य, लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक कला आदि का विकास तथा प्रचार–प्रसार महत्वपूर्ण है। हमारे लिए अपने प्राचीन एवं पुरातात्विक स्थानों और स्मारकों का संरक्षण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। संस्कृति विभाग हेतु वर्श 2009–10 में रु0 988 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।

खेल एवं युवा कल्याण :

विभिन्न स्पोर्टस स्टेडियमों के निर्माण, अगस्तमुनि में जनपद स्तरीय स्पोर्टस कामप्लैक्स के अव ोश कार्यों, स्पोर्टस कालेज देहरादून के विस्तारीकरण, जनपदों में खेलों के प्र ि ाक्षण ि ाविर आयोजित करने तथा राश्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली प्रतियोगी टीम के खिलाड़ियों को किट उपलब्ध कराने आदि सहित

विभाग के लिए वर्श 2009–10 में रु0 25 लाख का बजट प्राविधान है।

ग्राम पंचायतों में खेल मैदान निर्माण हेतु केन्द्र पोशित योजना के सापेक्ष वर्श 2009–10 में रु0 227 लाख का प्राविधान किया गया है।

सूचना एवं लोक सम्पर्क :

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग की प्रदे ा सरकार एवं जनता के मध्य समन्वय स्थापित करने तथा सरकार की नीतियों तथा योजनाओं की जानकारी विभिन्न संचार माध्यमों से जनता तक पहुॅचाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार मीडिया के हितों को वरीयता दे रही है। वर्श 2009–10 में सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग हेतु रु0 22.50 करोड़ (बाईस करोड़ पचास लाख) का प्राविधान है।

गृह एवं आन्तरिक सुरक्षा :

राज्य की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति हेतु सुदृढ़ कानून व्यवस्था का वि ोश महत्व है। राज्य की प्रमुख 13 तहसीलों में अभिसूचना तंत्र को सुदृढ़ किया जायेगा। स्पे ाल टास्क फोर्स का भी गठन किया जाना प्रस्तावित है। अपराधिक वादों के निस्तारण हेतु अभियोजन विभाग का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। करापवंचन रोकने हेतु भी अतिरिक्त पुलिस बल स्वीकृत किया गया है।

जनपद पौड़ी एवं चमोली में नवीन जिला कारागारों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। जनपद चम्पावत में जिला कारागार का निर्माण प्रगति पर है।

वित्तीय वर्श 2009–10 में पुलिस हेतु रु0 473.52 करोड़ (चार सौ तिहत्तर करोड़ बावन लाख) एवं कारागार विभाग हेतु रु0 18.84 करोड़ (अट्ठारह करोड़ चौरासी लाख) प्राविधानित है।

न्याय :

विभिन्न जनपदों में 15 न्यायालयों की स्थापना की अधिसूचना गत वर्श निर्गत हुई है। इन न्यायालयों की

स्थापना के लिए वर्श 2009–10 में भूमि/ भवन व्यवस्था हेतु रु0 500 लाख का प्राविधान प्रस्तावित है।

राजस्व :

भू–अभिलेखों का अध्यावधिक रख–रखाव एवं उनकी सुलभ उपलब्धता आज के समय में वांछनीय है। भू–अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण हेतु प्रथम चरण में कलेक्ट्रेट स्तर एवं द्वितीय चरण में तहसील स्तर पर यह कार्य किया जा चुका है जिसके फलस्वरूप जनता को अब कम्प्यूटरीकृत खतौनियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। मुख्य राजस्व आयुक्त कार्यालय का भवन निर्माण अन्तिम चरण में है जिसे भीघ्र पूर्ण किया जायेगा। वित्तीय वर्श 2009–10 हेतु राजस्व विभाग के लिए रु0 93.20 करोड़ (तिरानवे करोड़ बीस लाख) का प्राविधान है।

आपदा प्रबन्धन :

उत्तराखण्ड राज्य का अधिकां ा भू–भाग दैवीय आपदाओं की दृश्टि से संवेदन ाील है। आपदा राहत कोश हेतु वर्श 2009–10 में रु0 169.05 करोड़ (एक सौ उनहत्तर करोड़ पाँच लाख) का प्राविधान किया गया है। आपदाओं

के आकड़ों का एकत्रीकरण, खोज एवं बचाव कार्यों हेतु प्रि ाक्षण तथा जागरुकता

आदि कार्यों हेतु आपदा न्यूनीकरण एव प्रबन्धन केन्द्र (डी0एम0एम0सी0) के लिए रु0 100 लाख का प्राविधान किया गया है। आपदा सम्बन्धी सूचनाओं का त्वरित आदान–प्रदान तथा अन्य कार्यों हेतु राज्य व जनपद स्तर पर आपातकालीन संचालन केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं जिनके लिए वर्श 2009–10 में रु0 50 लाख की व्यवस्था प्रस्तावित है।

पंचायती राज :

वर्श 2008 में 12 जनपदों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सम्पन्न कराये गये एवं वर्श 2010 में जनपद हरिद्वार में चुनाव प्रस्तावित हैं। क्षेत्र पंचायत निधि हेतु वर्श 2009–10 में रु0 23.75 करोड़ (तेईस करोड़ पचहत्तर लाख) का प्राविधान है। त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए प्रि ाक्षण व्यवस्था भी की गई है। संविधान के 73वें सं ाोधन के आलोक में 11वीं अनुसूची

में वर्णित विशयों में से प्रथम चरण में 14 विशयों को पंचायतों के नियंत्रण में लाया जाना प्रस्तावित है। वर्श 2009–10 में पंचायती राज विभाग हेतु रु0 80 करोड़ का प्राविधान है।

ग्राम्य विकास :

प्रदे ा में ग्रामीण विकास हेतु स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना, राश्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना, इन्दिरा आवास योजना एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सक्रियतापूर्वक कार्यान्वित की जा रही हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौ पूर्णकालिक एवं समर्पित खण्डों की व्यवस्था की जा चुकी है जिससे निर्माण कार्यो की प्रगति में सुधार हुआ है। वर्श 2009–10 हेतु ग्राम्य विकास की विभिन्न योजनान्तर्गत रु0 381.64 करोड़ (तीन सौ इक्यासी करोड़ चौंसठ लाख) की व्यवस्था है।

प्रदे ा के 5 जनपदों टिहरी, चमोली, उत्तरका ाी, अल्मोड़ा एवं बागे वर के 17 विकास खण्डों में समाज के कमजोर वर्गों हेतु बेहतर आजीविका अवसरों को प्रोत्साहित करते हुए उनकी आजीविका सुधार हेतु बाह्य सहायतित

परियोजना चलायी जा रही है। श्रम रोजगार योजना के अन्तर्गत राश्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के लिए रु0 19.53 करोड़ (उन्नीस करोड़ तिरपन लाख), ग्रामीण आवास कार्यक्रम के अन्तर्गत इन्दिरा आवास योजना के लिए रु0 23.21 करोड़ (तेईस करोड़ इक्कीस लाख) तथा समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम तथा जलागम योजनाओं हेतु रु0 226 लाख का बजट प्राविधान है। राश्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना के राज्य स्तर पर अनुश्रवण हेतु एक प्रकोश्ठ भी स्थापित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत भूमि अर्जन आदि के लिए राज्यां ा के रूप में रु0 43 करोड़ का प्राविधान है।

राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित किये जाने हेतु पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा वित्त पोशित उत्तराखण्ड सार्वभौम रोजगार योजना संचालित की जा रही है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण आवास योजना के लिए रु0 7.20 करोड़ (सात करोड़ बीस लाख) का प्राविधान है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी :

प्रदे ा में विज्ञान का लोकव्यापीकरण के साथ–साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का प्रत्येक स्तर पर उपयोग तथा विकास योजनाओं के निरूपण व क्रियान्वयन में अतंरिक्ष उपयोग तकनीकी आदि के लिए रु0 391 लाख का प्राविधान किया गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी :

भाासन व्यवस्था में सुधार, पारदर्ि ाता, वि वसनीयता तथा जनता के द्वार तक सूचना की पहुॅच के बिन्दु आज के युग में सरकार व जनता दोनों के लिए भाीर्श महत्व के हैं। इस हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का हर स्तर पर उपयोग अनिवार्य हो गया है। राश्ट्रीय ई– ाासन योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड स्टेट वाईड एरिया नैटवर्क, उत्तराखण्ड स्टेट डाटा सैन्टर एवं गॉवों तक सूचना व सेवा उपलब्ध कराने हेतु नागरिक सेवा केन्द्र आदि कार्यो को भाीघ्र पूर्ण करने पर वि ोश ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही ई–जनपद, क्षमता विकास एवं

सरकारी विभागों में कम्प्यूटरीकरण हेतु मि ान मोड परियोजनाओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है। वर्श 2009–10 में सूचना प्रौद्योगिकी के लिए रु0 15.20 करोड़ (पन्द्रह करोड़ बीस लाख) का प्राविधान है।

पर्यटन :

उत्तराखण्ड में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्दे य से विगत वर्शों में तैयार कराये गये मास्टर प्लानों के अनुसार चारधाम यात्रा मार्गों पर सुलभ भौचालयों का उच्चीकरण/नवीनीकरण, जनपद बागे वर में घाटों का निर्माण आदि कार्य किये जा रहे हैं। औली में स्कियर एवं पर्यटकों को आकर्शित करने हेतु अवस्थापना सुविधाओं का विकास तथा भीतकालीन क्रीड़ा प्रतियोगिताओं की मूलभूत सुविधाओं को विकसित करने के लिए भी स्वीकृति दी गई है।

वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्श 2008–09 में 555

उद्यमियों को राज सहायता वितरित की गई जिसे आगे भी चलाया जा रहा है।

चारों धामों में पार्किंग निर्माण, चार धाम यात्रा मार्गों पर पर्यटक आवास गृहों का उच्चीकरण, पर्यटक सूचना केन्द्रों/ सुविधा केन्द्रों का निर्माण, ठोस अवि ाश्ट प्रबन्धन, सीवरेज ट्रीटमेन्ट, भ्ाुलभ भौचालयों का निर्माण एवं वर्शा भोड का निर्माण आदि योजनाएँ भी क्रियान्वित की जा रही हैं।

इको पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्दे य से विभिन्न जनपदों में ग्रामीण पर्यटन योजना के अन्तर्गत जागे वर, कसारदेवी, माणा, कोटी, इन्द्रौली, पत्यूड़, मोटाड़, अगोड़ा (डोडीताल), सारी (देवरियाताल), चैकूनीबोरा, त्रियुगीनारायण, पदमपुरी, आदिकैला I, नानकमत्ता ग्रामों के विकास की कार्यवाही गतिमान है। वित्तीय वर्श 2009–10 हेतु पर्यटन सम्बन्धी विभिन्न कार्यों के लिए रु0 73.55 करोड़ (तिहत्तर करोड़ पचपन लाख) की बजट व्यवस्था की गई है।

नागरिक उड्डयन :

राज्य में वि ाष्ट व्यक्तियों की हवाई यात्राओं के साथ पर्यटन एवं औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु विमानन गतिविधियॉ अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं।

जौलीग्रान्ट हवाई अड्डे के विस्तारित रनवे से नियमित विमान सेवायें प्रारम्भ कर दी गई हैं। स्टेट इन्क्लोजर के अन्तर्गत वी0आई0पी0 लाउन्ज का निर्माण कर साज–सज्जा की जा चुकी है। इसी परिसर के लैण्ड स्कैपिंग की योजना के साथ ही यहां पर जहाजों के पार्किंग हेतु एक बड़े हैंगर के निर्माण का प्रस्ताव है। पन्तनगर हवाई अड्डे को कार्गो एअरपोर्ट के रूप में विकसित करने की योजना के अन्तर्गत पन्तनगर हवाई अड्डे का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है।

राज्य की हवाई पट्टियों को क्रिया ाील किये जाने की योजना के अन्तर्गत नैनी–सैनी हवाई पट्टी के विस्तारीकरण एवं उच्चीकरण हेतु प्रयास किया जा रहा

है। गौचर एवं चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टियों को क्रिया ील करने हेतु भी प्रयास किया जा रहा है। गौचर हवाई पट्टी को तीर्थस्थलों तथा पर्यटन स्थलों के पर्यटन आवागमन को देखते हुए हैलीकॉप्टर सर्विस हब के रूप में विकसित करने की योजना के अन्तर्गत हैंगर के निर्माण की योजना स्वीकृत की गई है।

हवाई पट्टियों को क्रिया ील करने, व्यावसायिक विमान सेवाओं का विस्तार तथा प्रत्येक जनपद में उपयुक्त स्थलों पर कम से कम एक हैलीपैड के निर्माण आदि के लिए वित्तीय वर्श 2009–10 में इस हेतु रु0 19.50 करोड़ (उन्नीस करोड़ पचास लाख) का प्राविधान प्रस्तावित है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति :

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जनता को खाद्यान, चीनी, मिट्टी तेल आदि उपलब्ध कराना, खाद्यान भण्डारण, बाट–माप नियंत्रण, समर्थन मूल्य पर किसानों से खाद्यान क्रय आदि क्रियाकलाप खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा देखे जा रहे हैं।

उपभोक्ताओं की ि ाकायतों के निराकरण हेतु जिला उपभोक्ता फोरम एवं राज्य उपभोक्ता आयोग क्रिया ील हैं। ग्रामीण विशम भौगोलिक क्षेत्रों में निवास करने वाले बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय परिवारों की महिलाओं के लिए निः ुल्क गैस कनैक ान उपलब्ध कराये जाने की योजना चयनित विकास खण्डों में प्रारम्भ की गई थी जिसके अन्तर्गत मार्च, 2009 तक 3,654 कनैक ान दिये गये हैं। वित्तीय वर्श 2009–10 में खाद्यान एवं नागरिक आपूर्ति की विभिन्न योजनाओं हेतु रु0 23.70 करोड़ (तेईस करोड़ सत्तर लाख) का प्राविधान है।

श्रम, प्र ि क्षण एवं सेवायोजन :

राज्य में 104 राजकीय औद्योगिक प्र ि क्षण संस्थान हैं जिनके माध्यम से 33 व्यवसायों का प्र ि क्षण प्रदान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य में 29 निजी औद्योगिक प्र ि क्षण संस्थान भी संचालित हैं। औद्योगिक प्र ि क्षण संस्थानों से उत्तीर्ण प्र ि क्षणार्थियों को ि ि क्षु–प्र ि क्षण योजनान्तर्गत कार्य स्थल पर भी प्र ि क्षण दिया जाता है जिस हेतु 221 नियोजकों के

यहॉ 2,166 ि ाि ाक्षु स्थान उपलब्ध हैं। विभिन्न औद्योगिक प्रि ाक्षण संस्थानों में कैम्पस साक्षात्कार की व्यवस्था भी की जा रही है जिससे वर्श 2008 में 1,549 लोगों का चयन हुआ है। वर्श 2009–10 में प्रि ाक्षण श्रम एवं रोजगार हेतु कुल रु0 4.14 करोड़ (चार करोड़ चौदह लाख) की बजट व्यवस्था की गई है।

नियोजन :

नियोजन विभाग के माध्यम से स्वतंत्र व्यवस्थान्तर्गत रु0 1 करोड़ से रु0 5 करोड़ की पूंजी वाली परियोजनाओं के पूर्ण तथा निर्माणाधीन कार्यों की गुणवत्ता की तकनीकी जॉच सेवानिवृत्त अभियन्ताओं के पैनल से सम्पादित करायी जा रही है जबकि रु0 5 करोड़ से बड़ी योजनाओं के सम्बन्ध में वाह्य संस्थाओं से कराने के उद्दे य से चार संस्थाएॅ सूचीबद्ध कर ली गई हैं। इस प्रकार विकास कार्यक्रमों का धरातल पर गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनि ि चत करने के लिए तृतीय पक्ष वि ोशज्ञों से सघन मूल्यांकन कराया जायेगा जिसके लिए रु0 2.50 करोड़ (दो करोड़ पचास लाख) की व्यवस्था प्रस्तावित है।

भौतिक एवं सामाजिक क्षेत्र की ऐसी अवस्थापना परियोजनाएँ, जो वित्तीय दृश्टि से व्यवहार्य नहीं हों परन्तु जो राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं उनके लिए सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों के दृश्टिगत निजी पूंजी निवे ा आकर्शित करने हेतु लोक निजी सहभागिता के माध्यम से क्रियान्वित करने के लिए बायेबलिटी गैप फंडिंग योजना तैयार की गई है। इस हेतु रू0 10 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

राज्य में सार्वजनिक निजी सहभागिता (पी0पी0पी0) निवे ा आकर्शित करने तथा भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत अधिकतम अनुदान प्राप्त करने के उद्दे य से नियोजन विभाग के अन्तर्गत उत्तराखण्ड पी0पी0पी0 प्रकोश्ठ गठित किया गया है। वित्तीय वर्श 2009–10 में भी इस प्रकोश्ठ हेतु रु0 20 लाख का प्रविधान है।

मान्यवर,

अब मैं, वित्तीय वर्श 2009–10 के बजट अनुमानों के बारे में प्रमुख बिन्दुओं का उल्लेख करना चाहूँगा।

वर्श 2009–10 में रु0 13909.16 करोड़ (तेरह हजार नौ सौ नौ करोड़ सोलह लाख) की कुल प्राप्तियॉ अनुमानित हैं।

कुल प्राप्तियों में रु0 10947.67 करोड़ (दस हजार नौ सौ सैंतालीस करोड़ सड़सठ लाख) की राजस्व प्राप्तियॉ तथा रु0 2961.49 करोड़ (दो हजार नौ सौ इकसठ करोड़ उनचास लाख) की पूंजीगत प्राप्तियॉ सम्मिलित हैं।

वर्श 2009–10 में राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अं ा रु0 5074.77 करोड़ (पाँच हजार चौहत्तर करोड़ सतहत्तर लाख) है। इसमें केन्द्रीय करों में राज्य का अं ा रु0 1545.88 करोड़ (एक हजार पाँच सौ पैंतालीस करोड़ अट्ठासी लाख) सम्मिलित है।

व्यय :

वर्श 2009–10 में राज्य को ऋणों के प्रतिदान पर रु0 611.58 करोड़ (छः सौ ग्यारह करोड़ अट्ठावन लाख), ब्याज की अदायगी के रूप में रु0 1510.91 करोड़ (एक हजार पाँच सौ दस करोड़

इक्यानवे लाख), राज्य कर्मचारियों के वेतन–भत्तों आदि पर रु0 4425.13 करोड़ (चार हजार चार सौ पच्चीस करोड़ तेरह लाख), सहायता प्राप्त ि ाक्षण संस्थाओं के ि ाक्षकों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों के रूप में लगभग रु0 386.09 करोड़ (तीन सौ छियासी करोड़ नौ लाख), पें ान एव ंअन्य सेवानिवृत्तिक लाभों के रूप में रु0 1296.30 करोड़ (एक हजार दो सौ छियानवे करोड़ तीस लाख) व्यय अनुमानित है।

वर्श 2009–10 में कुल व्यय रु0 14737.78 करोड़ (चौदह हजार सात सौ सैंतीस करोड़ अठहत्तर लाख) अनुमानित है।

कुल व्यय में रु0 11161.11 करोड़ (ग्यारह हजार एक सौ इकसठ करोड़ ग्यारह लाख) राजस्व लेखे का व्यय है तथा रु0 3576.27.करोड़ (तीन हजार पाँच सौ छिहत्तर करोड़ सत्ताईस लाख) पूंजी लेखे का व्यय है।

समेकित निधि का घाटा :

समेकित निधि में रु0 4522.68 करोड़ (चार हजार पाँच सौ बाईस करोड़ अड़सठ लाख) आयोजनागत पक्ष में तथा रु0 10214.70 करोड़ (दस हजार दो सौ चौदह करोड़ सत्तर लाख) आयोजनेत्तर पक्ष में व्यय प्रस्तावित है। राजस्व व्यय में रु0 2287.53 करोड़ (दो हजार दो सौ सत्तासी करोड़ तिरपन लाख) आयोजनागत तथा रु0 8873.58 करोड़ (आठ हजार

आठ सौ तिहत्तर करोड़ अट्ठावन लाख) आयोजनेत्तर पक्ष में अनुमानित है। इसी प्रकार रु0 2235.15 करोड़ (दो हजार दो सौ पैंतीस करोड़ पन्द्रह लाख) आयोजनागत पूंजी लेखा तथा रु0 1341.12 करोड़ (एक हजार तीन सौ इकतालीस करोड़ बारह लाख) आयोजनेत्तर पूंजी लेखा हेतु प्रस्तावित है।

समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के प चात् वर्श 2009–10 में अनुमानित घाटा रु0 828.22 करोड़ (आठ सौ अट्ठाईस करोड़ बाईस लाख) है।

लोक–लेखा से समायोजन :

वर्श 2009–10 में समेकित निधि का घाटा पूरा करने के लिए रु0 800 करोड़ लोक–लेखा से समायोजित किये जायेंगे।

अंतिम भोश :

वर्श 2009–10 में आरम्भिक भोश को लेते हुए अन्तिम ोश रु0 627.37 करोड़ (छः सौ सत्ताईस करोड़ सैंतीस लाख) ऋणात्मक होना अनुमानित है।

मेरा यह मानना है कि जहॉ राज्य सरकार को एक लोक हितेशी संस्था के रूप में चलाए जाने की आव यकता है जिसके लिए मूल सिद्धान्त तथा लक्ष्य हमारे महान संविधान में निर्धारित हैं वहीं दक्षता, पारदि ता एवं समय से कार्यपूर्ति आदि पर भी ध्यान दिया जाना आव यक है। एक ओर जनता की चुनी हुई सरकार होने के नाते हमारा लोक धन की सुरक्षा व संरक्षण करने का दायित्व है, वहीं दूसरी ओर उस धन का सदुपयोग जनहित व लोक कल्याण के लिए करने का
भी दायित्व है। मुझे पूर्ण वि वास है कि आप सबके सहयोग से हम इस गुरुत्तर दायित्व का निर्वहन करने में सफल रहेंगे।

मुझे उत्तराखण्ड के निवासियों व कर्मचारियों पर गर्व है कि राज्य निर्माण के बाद उन्होंने राज्य के तीव्र विकास के लिए मनोयोग से सहयोग दिया है और मुझे पूर्ण वि वास है कि उनका योगदान हमें आगे भी मिलता रहेगा।

मान्यवर,

अन्त में, मैं मंत्रिमण्डल के अपने समस्त सहयोगियों के प्रति आभार प्रकट करना चाहूँगा, जिनके सहयोग एवं परामर्श से बजट प्रस्तुत करना सम्भव हो सका। वित्त विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने जो सहायता मुझे बजट बनाने और उसको समय से प्रस्तुत करने में दी है, उसके लिए मैं, हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। महालेखाकार, उत्तराखण्ड एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति उनके द्वारा

इस कार्य में दी गई सहायता के लिये भी कृतज्ञ हूँ। राजकीय मुद्रणालय तथा एन0आई0सी0 के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनके अथक परिश्रम एवं सहयोग से बजट साहित्य का मुद्रण समय से किया जा सका।

इन भाब्दों के साथ, मान्यवर, मैं वर्श 2009–10 का बजट प्रस्तुत करता हूँ।

आशाढ़ 23 भाक संवत् 1931

तद्नुसार

14 जुलाई, 2009